रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2008/माघ 26, 1929
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2008/MAGHA 26, 1929

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

## अधिसूचना

मुम्बई, 18 सितम्बर, 2007

**सं. फेमा 161/2007-आरबी**

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसम्पत्तियों का प्रेषण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007

**सा.का.नि. 90(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-**

(1) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।

(2) ये मई 31, 2007 से लागू समझे जाएंगे।@

**2. विनियमावली में संशोधन :**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी) में विनियम 4 में उप-विनियम (4) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) भारत में प्राधिकृत व्यापारी उप-विनियम (2) अथवा उप-विनियम (3), जैसा मामला हो, के तहत पात्र व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का प्रेषण रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर कर सकते हैं तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत परिसमापन के तहत भारतीय कंपनियों की परिसंपत्तियों में से प्रेषण की अनुमति भी दे सकते हैं :

(i) प्राधिकृत व्यापारी सुनिश्चित करेगा कि प्रेषण भारत में कोर्ट द्वारा जारी आदेश/स्वैच्छिक समापन के मामले में आधिकारिक परिसमापक अथवा परिसमापक द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में है; और

(ii) जब एक आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है उसे प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी :-

(क) प्रेषण के लिए आयकर प्राधिकारी से प्राप्त आपत्ति नहीं अथवा कर बेबाकी प्रमाण पत्र ।

(ख) लेखा परीक्षक का यह पुष्टि करते हुए प्रमाणपत्र कि भारत में सभी देयताओं का पूरी तरह भुगतान किया गया है अथवा उनके लिए प्रावधान किया गया है ।

(ग) लेखा परीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समापन किया गया है।

(घ) कोर्ट से इतर द्वारा समापन के मामले में, लेखा परीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि आवेदक अथवा परिसमापनाधीन कंपनी के विरुद्ध भारत में किसी कोर्ट में कोई कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं है तथा प्रेषण की अनुमति देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।"

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :**

(i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 396(अ), में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :—

(क) सा.का.नि. 576(अ) दिनांक अगस्त 19, 2002

(ख) सा.का.नि. 630(अ) दिनांक अगस्त 4, 2003

(ग) सा.का.नि. 699(अ) दिनांक सितम्बर 1, 2003

(घ) सा.का.नि. 493(अ) दिनांक अगस्त 4, 2004 और

(ङ) सा.का.नि. 400(अ) दिनांक मई 30, 2007

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

(RESERVE BANK OF INDIA)

**(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th September, 2007

**No. FEMA. 161/2007-RB**

**Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Second Amendment) Regulations, 2007**

**G.S.R. 90(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management ( Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.13/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

**1. Short Title and Commencement :—**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Second Amendment) Regulations, 2007.

(ii) They shall be deemed to have come into force from May 31, 2007. @

**2. Amendment to the Regulations:—**

In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. EMA.13/2000-RB dated May 3, 2000), in regulation 4, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:—

" (4) An authorised dealer in India may, without approval from Reserve Bank, effect remittance of assets made by a person eligible under sub-regulation (2) or sub-regulation (3) as the case may be and also allow remittance out of the assets of Indian companies under liquidation under the provisions of the Companies Act, 1956 , subject to the following conditions:

(i) Authorised Dealer shall ensure that the remittance is in compliance with the order issued by a court in India/ order issued by the official liquidator or the liquidator in the case of voluntary winding up ; and

(ii) no remittance shall be allowed unless the applicant submits :—

(a) No objection or Tax clearance certificate from Income Tax authority for the remittance.

(b) Auditor's certificate confirming that all liabilities in India have been either fully paid or adequately provided for.

(c) Auditor's certificate to the effect that the winding up is in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956.

(d) In case of winding up otherwise than by a court, an auditor's certificate to the effect that there is no legal proceedings pending in any court in India against the applicant or the company under liquidation and there is no legal impediment in permitting the remittance."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

**Foot Note :**

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 396 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide:*

(a) G.S.R. 576 (E) dated August 19, 2002

(b) G.S.R. 630 (E) dated August 4, 2003

(c) G.S.R. 699 (E) dated September 1, 2003

(d) G.S.R. 493 (E) dated August 4, 2004, and

(e) G.S.R. 400 (E) dated May 30, 2007.

**अधिसूचना**

मुम्बई, 18 सितम्बर, 2007

**सं. फेमा 162/2007-आरबी**

**विदेशी मुद्रा प्रबंध-( जमाराशि ) ( तृतीय संशोधन ) विनियमावली, 2007**

**सा.का.नि. 91( अ ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमावली,

2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे ।

(2) ये मई 24, 2007 से लागू समझे जाएंगे।@

**2. विनियमावली में संशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) विनियमावली, 2000 में :-

(i) विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा :

"2अ अनिवासी अधिग्रहणकर्ता खुले प्रस्तावों/असूचीबद्ध करने/निकास प्रस्तावों के माध्यम से शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के अधिग्रहण/अंतरण के लिए संबंधित सेबी (एसएएसटी) विनियमों अथवा अन्य लागू सेबी विनियमों/कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास एस्क्रो खाता और विशेष खाता खोल, रख और उसका रख-रखाव कर सकते हैं ।"

(ii) अनुसूची 7 के बाद, इन विनियमों के संलग्नक के अनुसार एक नई अनुसूची जोड़ी जाएगी ।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :**

(i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 की सं. सा.का.नि. 388(अ), में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए–

(क) सा.का.नि. 262(अ) दिनांक अप्रैल 9, 2002;

(ख) सा.का.नि. 577(अ) दिनांक अगस्त 19, 2002;

(ग) सा.का.नि. 855(अ) दिनांक दिसम्बर 31, 2002;

(घ) सा.का.नि. 494(अ) दिनांक अगस्त 4, 2004;

(ङ) सा.का.नि. 221(अ) दिनांक अप्रैल 7, 2005;

(च) सा.का.नि. 663(अ) दिनांक नवम्बर 14, 2005;

(छ) सा.का.नि. 28(अ) दिनांक जनवरी 19, 2006;

(ज) सा.का.नि. 495(अ) दिनांक जुलाई 23, 2007; और

(झ) सा.का.नि. 664(अ) दिनांक अक्तूबर 16, 2007

**संलग्नक**

## अनुसूची 8

**(विनियम 5 का उप-विनियम 2अ देखें)**

खुले प्रस्ताव/असूचीबद्ध करने/निकास प्रस्तावों के लिए अनिवासी कारपोरेटों द्वारा एस्क्रो खाते और विशेष खाते खोलने हेतु शर्तें :-

1. शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण पूरी तरह समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सब्सटेंशियल अक्विजिशन ऑफ शेयर्श एंड टेकओवर) विनियमवली, 1997 [सेबी (एसएएसटी) विनियमावली] अथवा यथा लागू कोई अन्य सेबी विनियमवाली [सेबी विनियमावली] के अनुसार होंगे।
2. खाते ब्याजरहित होंगे।
3. एस्क्रो खाते निम्नलिखित अनुमत जमा और नामे के साथ इस प्रयोजन के लिए भारतीय रुपए में संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप से खोले जा सकते हैं।

   अनुमत जमा : सामान्य बैंकिंग के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण।

   अनुमत नामे : सेबी (एसएएसटी) विनियमों के अनुसार अथवा यथालागू कोई अन्य सेबी विनियम।
4. विशेष खाते सेबी (एसएएसटी) विनियमों अथवा यथालागू कोई अन्य सेबी विनियमों के अनुसार जमा और नामे के साथ रुपए में संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप से खोले जा सकते हैं।
5. इस प्रयोजन के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिकारप्रदत्त निवासी अधिदेशी (mandatee) यथालागू सेबी (एसएएसटी) विनियमों और कोई अन्य सेबी विनियमों के अनुसार और प्राधिकृत व्यापारी, जिसके पास खाता खोला गया है के विशिष्ट अनुमोदन से एस्क्रो खाता का परिचालन कर सकता है।
6. खाते में शेष राशि पर कोई निधि आधारित/गैर निधि आधारित सुविधा नहीं दी जाएगी।
7. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहकों को जानिए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुपालन की शर्त प्राधिकृत व्यापारी के साथ होगी।
8. एस्क्रो खाता की शेष राशि, यदि कोई हो, को उपर्युक्त अधिग्रहण की सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद उस समय प्रचलित विनिमय दर पर प्रत्यावर्तित किया जाए। अर्थात् शेयरों का अधिग्रहण करने वाली समुद्रपारीय कंपनी विनिमय दर जोखिम का वहन करेगी) ।
9. उपर्युक्त अधिग्रहण/अंतरण के तहत प्रस्ताव के क्रियान्वित न होने की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी एस्क्रो खाते की संपूर्ण जमाराशि को, ऐसे प्रेषणों की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दें।
10. ऊपर प्रस्तुत अपेक्षाओं के पूरा होने के बाद खातों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th September, 2007

**No. FEMA. 162/2007-RB**

**Foreign Exchange Management (Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2007**

**G.S.R. 91(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 5/2000-RB dated May 3, 2000) namely:—

**1. Short Title and Commencement :** (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2007.

(ii) They shall be deemed to have come into force from May 24, 2007. @

**2. Amendment of the Regulations :** In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 5/2000-RB dated May 3, 2000),

(i) in regulation 5, after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely :

"2A Non-resident acquirers may, subject to the terms and conditions specified in Schedule 8, open, hold and maintain Escrow Account and Special Account with Authorised Dealers in India without prior approval of the Reserve Bank, for acquisition/transfer of shares/convertible debentures through open offers/delisting/exit offers, subject to the relevant Security Exchange Board of India (SAST) Regulations or any other applicable Security Exchange Board of India Regulations/provisions of the Companies Act, 1956."

(ii) after Schedule 7, a new Schedule as in Annex to these regulations shall be inserted.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

**Foot Note :**

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 388(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :

(a) No. G.S.R. 262(E) dated April 9, 2002;
(b) No. G.S.R. 577(E) dated August 19, 2002;
(c) No. G.S.R. 855(E) dated December 31, 2002;
(d) No. G.S.R. 494(E) dated August 4, 2004;
(e) No. G.S.R. 221 (E) dated April 7, 2005;
(f) No. G.S.R. 663(E) dated November 14, 2005;
(g) No. G.S.R. 28 (E) dated January 19, 2006;
(h) No. G.S. R. 495(E) dated July 23, 2007;
(i) No. G.S.R. 664(E) dated 16 October, 2007

**Annex**

**SCHEDULE 8**

*(See Sub-Regulation 2A of Regulation 5)*

**Terms and conditions for opening of Escrow Account and Special Account by non-resident corporates for open offers/ delisting/exit offers**

1. Acquisition/Transfer of shares shall be strictly in accordance with the provisions of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000 as amended from time to time and Security Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 1997 [SEBI (SAST) Regulations] or any other SEBI Regulations [SEBI Regulations] as applicable.

2. The accounts shall be non-interest bearing.

3. Escrow Account may be opened in Indian Rupees, jointly and severally for the purpose, with the following permitted credits and debits:

   Permitted credits: Foreign Inward Remittance through normal banking channels.

   Permitted debits: as per SEBI (SAST) Regulations or any other SEBI Regulations, as applicable.

4. Special Account may be opened in Rupees, jointly and severally for the purpose, with the credit and debits as per SEBI (SAST) Regulations or any other SEBI Regulations, as applicable.

5. The resident mandatee empowered by the overseas acquirer for this purpose, may operate the Escrow Account in accordance with SEBI (SAST) Regulations or any other SEBI Regulations, as applicable and with the specific approval of the Authorised Dealer with whom the account is opened.

6. No fund based/non-fund based facilities shall be permitted against the balance in the accounts.

7. Requirement of compliance with KYC guidelines issued by the Reserve Bank shall rest with the Authorised Dealer.

8. Balance in the Escrow Account, if any, may be repatriated at the then prevailing exchange rate (i.e. the exchange rate risk will be borne by the overseas company acquiring the shares), after all the formalities in respect of the said acquisition are completed.

9. In the event, the proposal under the said acquisition/transfer does not materialize, the Authorised Dealer may allow repatriation of the entire amount lying to the credit of the Escrow Account on being satisfied with the bonafides of such remittances.

10. The accounts shall be closed immediately after completing the requirements as outlined above.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.